न्यायालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री महेंद्र कुमार पुत्र स्व0 श्री रामचंद्र जाति रैगर गॉव धीरोडा तहसील राजगढ जिला अलवर–301410

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दौसा

अपील सं0 57/2018

निर्णय दिनांक 05.11.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा से दिनांक 06.08.2018 को सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा अपने पत्रांक 735 दिनांक 08.08.18 से संबंधित को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलेक्टर, दौसा को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र स्थानांतरित किया गया व अपीलांट को भी प्रति पृष्ठांकित की गई। अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलेक्टर, दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलेक्टर, दौसा का पत्रांक आरटीआई/2018/8205 दिनांक 31.10.18 द्वारा अवगत कराया गया है कि वॉछित सूचना आवेदक को उनके पत्रांक कोर्ट/आरटीआई/2018/8061 दिनांक 23.10.18 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र के संलग्न सूचना की प्रति भिजवाई गई है। प्राप्त पत्रादि संलग्न पत्रावली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवदेक को वॉछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official